सुरेश कुमार .... बनाम .... विनोद कुमार

किस्म मुकदमा .... मु. नं0 ....85........ वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.6.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने विवादित आराजी खसरा नं० 417 से 428, 430, 437, 440, 441 कुल किता-16 रकबा 15.39 हैक्टर ग्राम डूडाना की यथास्थिति के आदेश पारित किये । इसके बाद अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त आदेश दिनांक 23-12-2015 को संशोधित कर विधुत कनेक्शन तक निष्प्रभावी कर दिया । इससे विवादित आराजी जो संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है जिसका विधिवत बंटवारा किया जाना शेष है बिना बंटवारा रेस्पोंडेन्ट विवादित आराजी के किसी निश्चित भू-भाग पर विधुत सम्बन्ध ले लेता है तो अपीलान्ट को सख्त हकतलफी होगी तथा अविभाजित भूमि से अपीलान्ट के हक समाप्त हो जाते हैं । बिना विभाजन के रेस्पोंडेन्ट को विधुत सम्बन्ध लिये जाने की छुट नहीं दी जानी चाहिये । जब तक बंटवारे का दावा विचाराधीन है विवादित आराजी की मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने की स्थिति को ही बहाल रखा जाना चाहिये । अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा जावे । बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया । योग्य योग्य अदालत मातहत ने स्थगन आदेश को केवल विधुत कनेक्शन तक निष्प्रभावी किया है विधुत कनेक्शन आराजी के विकास की श्रेणी में आता है जिस की कार्यवाही पर रोक लगाना उचित नहीं मानते बल्कि	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...अधिकारी एवं ...अधिकारी

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	प्रकरण को इसी स्तर पर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है कि वह प्रकरण मे प्रा0 पत्र धारा-212 रा0का0अधि0 का निर्णय अन्तिम रूप से 30 दिन मे पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत मे नियत दिनाक को उपस्थित होवे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 18/6/18 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर